<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश</u>

उपस्थित **श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री अमरोहा टैक्सटाइल वेस्ट एसोसियेशन, कुन्दन इण्टर कालेज के पीछे, बिजनौर रोड, अमरोहा (जे0पी0नगर)**

प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक **093 / 10, 15.09.2010**
दिनांक

प्रार्थी की ओर से **श्री मौहम्मद रियाज मंसूरी, महामन्त्री।**

<u>उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री अमरोहा टैक्सटाइल वेस्ट एसोसियेशन, बिजनौर रोड, अमरोहा (जे0पी0नगर) द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूछा गया है कि :---

(i) क्या कपड़ा चिन्दी और क्लाथ कटिंग, कपड़े की कतरन, टेलर कटिंग एक ही वस्तु का नाम है ?

(ii) क्या यह वस्तु वैट अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त वस्तु है ?

2. एसोसियेशन की ओर से महामन्त्री श्री मौहम्मद रियाज मंसूरी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा गया कि सर्वश्री अमरोहा टैक्सटाइल वेस्ट एसोसियेशन पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रुप से स्वयॅं व्यापार नहीं करती है। एसोसियेशन के सदस्य व्यापार करते हैं। अन्त में प्रार्थना पत्र को ग्राह्य मानकर निर्णय करने का अनुरोध किया गया है।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा पत्र सं0-2496, दिनांक 7.11.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत एसोसियेशन वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर यथा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रुप से व्यापार नहीं करती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि सर्वश्री अमरोहा टैक्सटाइल वेस्ट एसोसियेशन, कुन्दन माडल इण्टर कालेज के पीछे, बिजनौर रोड, अमरोहा द्वारा व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं कर रही है और न ही किसी प्रकार से यथा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रुप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। एसोसियेशन निश्चित रुप से विधिक व्यक्ति हो सकती है, परन्तु जब तक Dealer or Person in U.P.VAT Act न हो, तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकती है। चूॅंकि प्रश्नगत एसोसियेशन Person or Dealer concerned नहीं है। अत: वह प्रश्न नहीं पूछ सकती है। प्रार्थना पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया।

उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है :------

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

.... 2

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है, तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

6. इस प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है, जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रुप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। सर्वश्री अमरोहा टैक्सटाइल वेस्ट एसोसियेशन, कुन्दन माडल इण्टर कालेज के पीछे, बिजनौर रोड, अमरोहा (जे0पी0नगर) द्वारा स्वयॅ में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही पंजीकृत या अपंजीकृत रुप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में वह Person or Dealer concerned in U.P.VAT Act नहीं है। यह सही है कि एसोसियेशन विधिक व्यक्ति है, परन्तु Person or Dealer concerned in U.P.VAT Act नहीं है। अत: एसो0 विधिक प्रश्न नहीं पूछ सकती है, इसलिए धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति एसोसियेशन, सम्बद्ध करनिर्धारण प्राधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 26, नवम्बर, 2012

ह0/- 26-11-2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ।